

अज अदालत विशिष्ट न्यायाधीश अ.जा./ज.जा. (अ.नि.प्रकरण) बारां, जिला बारां राज.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज सैशन प्रकरण सं. 27/2018 cis no- 27/2018 सरकार/गोलू उर्फ विनोद कुमार वगै.	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किये
13.02.2026	<p>एसपीपी उपस्थित। मुलजिमान गोलू उर्फ विनोद कुमार एवं दिनेश उर्फ धन्ना मय अधिवक्ता श्री कृष्णकान्त शर्मा उपस्थित। अधिवक्ता श्री कृष्णकान्त शर्मा ने अभियुक्तगण गोलू उर्फ विनोद कुमार एवं दिनेश उर्फ धन्ना की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 315 सीआरपीसी का प्रस्तुत कर अभियुक्तगण गोलू उर्फ विनोद कुमार एवं दिनेश उर्फ धन्ना की साक्ष्य लेखबद्ध करवाने का निवेदन किया। एसपीपी ने जवाब पेश करना नहीं चाहा। बहस उभयपक्ष सुनी गई।</p> <p>समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्तगण गोलू उर्फ विनोद कुमार एवं दिनेश उर्फ धन्ना के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 315 सीआरपीसी स्वीकार किया जाता है एवं साक्ष्य सफाई में गोलू उर्फ विनोद कुमार एवं दिनेश उर्फ धन्ना को साक्ष्य के रूप में परिक्षित किए जाने की अनुमति दी जाती है। गवाह डी. डब्ल्यू. 01 गोलू उर्फ विनोद कुमार के बयान लिए गए। अधिवक्ता अभियुक्तगण ने फर्द के साथ दस्तावेज पेश किए, जो शामिल पत्रावली किए गए। और साक्ष्य पेश करने को समय चाहा। पत्रावली वास्ते साक्ष्य सफाई दिनांक 18.02.2026 को पेश हो।</p>	<p>विनोद</p> <p>दिनेश</p>

विशिष्ट न्यायाधीश  
अ.जा. / ज.जा. (अ.नि., प्रकरण  
बारां (राज.)